हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

जासं, श्रावस्ती: बांका मारकर युवक की हत्या करने के मामले में दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा कर पाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि 12 फरवरी 2007 को इकौना क्षेत्र के सरदारपुरवा गांव स्थित बाग में रुपये के लेनदेन व कोटा विवाद में साईंपुरवा निवासी साहबान की धारदार हथियार से अम्बिकेश्वर प्रताप सिंह उर्फ बड़े भैया निवासी साईंपुरवा ने हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र एजाजुद्दीन की तहरीर पर इकौना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार रवाना कर दिया गया है।

अदालत से

- **बांका मारकर युवक की हत्या करने का मामला, 25 हजार रुपये अर्थदंड**
- **अर्थदंड न अदा करने पर भुगतना होगा छह माह का अतिरिक्त कारावास**

मारपीट के दोषी भाइयों को तीन-तीन साल का कारावास

श्रावस्ती: सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज पांडेय ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के प्रानपुर निवासी शिव मगन तिवारी अपने भाई नान्हू तिवारी के साथ हरिद्वार जल चढ़ाने गए थे। यहां किसी बात को लेकर पकड़िया गांव निवासी रामकुमार यादव के साथ उनकी मारपीट हो गई थी। वापस आने पर आठ अक्टूबर 2001 को रामकुमार लक्ष्मननगर बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आए थे।

इसी दौरान दोनों भाइयों ने लाठी-डंडे व बेलचा से रामकुमार पर हमला बोल दिया था। मामले के विचारण के बाद अपर सिविल जज प्रवर खंड एसीजेएम अनिल कुमार द्वादश ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।